THE UTTAR PRADESH LOCAL BODIES (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1975[1]

[U. P. Act No. 32 of 1975]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative assembly on July 31, 1975 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on August 5, 1975.

Received the assent of the Governor on August 14, 1975 under Article 200 of the Constitution of India and was published in the Uttar Pradesh *Gazette Extraordinary*, dated August 19, 1975.]

AN

ACT

to provide for the prevention of disqualification for membership of local bodies on the basis of holding certain offices of profit.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-Sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Local Bodies (Prevention of Disqualification) Act, 1975.

Prevention of disqualification for membership of local bodies.

2. Notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, the U. P. Municipalities Act, 1916, the U. P. Town Areas Act, 1914, the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961, the U. P. Panchayat Raj Act, 1947 or in any other law relating to the composition of any local body, no office specified in section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971, as amended from time to time, in so far as it is an office or place of profit under or in the gift or disposal of Government shall disqualify or be deemed ever to have disqualified the holder thereof for being chosen as or for being, member of any local body.

---

1. For Statement of Objects and Reasons see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated August 19, 1975.

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1975[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1975]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 31 जुलाई, 1975 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 5 अगस्त, 1975 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने दिनांक 14 अगस्त, 1975 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 19 अगस्त, 1975 ई0 को प्रकाशित हुआ ।]

कुछ लाभप्रद पदों को धारण करने के आधार पर स्थानीय निकायों की सदस्यता के लिये अनर्हता के निवारण की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जात है : ––

संक्षिप्त नाम

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1975 कहलायेगा ।

स्थानीय निकायों को सदस्यता के लिये अनर्हता का निवारण

2– उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959, यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961, यू0 पी0 पंचायत राज ऐक्ट, 1947 अथवा स्थानीय निकाय के गठन से संबंधित किसी भी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट कोई पद, जहां तक कि वह सरकार के अधीन या दान से अथवा निस्तारण में लाभ का पद या स्थान है, उसके धारक को किसी स्थानीय निकाय का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए न तो अनर्ह करेगा और न कभी भी अनर्ह किया गया समझा जायगा ।

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये उ0 प्र0 (असाधारण) गजट दिनांक 19 अगस्त 1975 देखियें ।